

में बोरिंग उपकरण की सप्लाई और पम्पसेटों के लिए अग्रिम राशियों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में सेंट्रल बैंक

आफ इण्डिया के निम्नलिखित 6 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिये गये थे :—

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. श्री बी०एन० सिन्हा, शाखा प्रबंधक, डालसिंह सराय । | मामला सं०—आर सी/ 35/81—पटना |
| 2. श्री डी०एन० झा, उप लेखाकार, डालसिंह सराय । | —वही— |
| 3. श्री बी०श्री० राय, शाखा प्रबंधक, मुरादपुर । | मामला सं०—39/82—पटना |
| 4. श्री एस०के० चौधरी, शाखा प्रबंधक, बनीपुर शाखा । | मामला सं०—40/82—पटना |
| 5. श्री विजय कुमार, कृषि सहायक, बनीपुर शाखा । | —वही— |
| 6. श्री रामधिन ठाकुर, कृषि सहायक, बनीपुर शाखा । | —वही— |

बिहार के दरभंगा जिले में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्य कर रहे थे। बैंकिंग प्रभाग ने जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए मामले को बैंकों के साथ उठाया था। बैंकिंग प्रभाग ने सूचित किया था कि सभी बैंकों से रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया को छोड़कर किसी भी बैंक ने ग्रामीण विकास विभाग के 6 मार्च, 1985 के पत्र में बताए गए अग्रिमों के स्वरूप में कोई अनियमितता नहीं बताई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मामले सुनवाई के लिए न्यायालय में लिखित हैं।

बिहार में पम्प सेटों की सप्लाई में अन्तर्ग्रस्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

2251. श्री अशोक नाथ वर्मा : क्या कृषि मंत्री 22 नवम्बर, 1985 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 94 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार से दिनांक 16 नवम्बर, 1985 के प्राप्त पत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा आगे और क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही आरम्भ की गई थी और उनमें से कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया; और

(ग) जब इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा अन्य जांच अभिकरणों द्वारा पहले ही की जा चुकी है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की सिफारिश भी की गई है, तो बिहार सरकार किन कारणों से इस मामले की जांच सतर्कता विभाग से दुबारा कराना चाहती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बिहार की राज्य सरकार ने 16 नवम्बर, 1985 के अपने पत्र के द्वारा बताया था कि वे पम्पसेटों की सप्लाई में हेरा-फेरी के बारे में आरोपों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा करवा रहे हैं। तभी से भारत सरकार मामले को राज्य सरकार के साथ उठा रही है कि मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है। सचिव (ग्रामीण विकास) ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को लिखे 15 जुलाई, 1986 के अर्धशासकीय पत्र और उसके बाद 21 अगस्त, 1986 और 11 नवम्बर, 1986 के अर्धशासकीय अनुस्मारकों और 1 दिसम्बर, 1986 के तार द्वारा भेजे गए

अनुस्मारक के द्वारा बिहार की राज्य सरकार से पुनः मामले में अन्तर्ग्रस्त लोगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना देने के लिए कहा था। इस मामले में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने भी मुख्य मंत्री को दिनांक 26 दिसम्बर, 1986, 25 फरवरी, 1987 और 29 अप्रैल, 1987 को पत्र लिखे थे। बिहार सरकार से आज तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) बिहार राज्य सरकार ने अपने दिनांक 16.11.85 के पत्र संख्या जी-पी-6 के -14/84-178/सी के द्वारा सूचित किया था कि चूंकि मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा बैंक कर्मचारियों और व्यापारियों को भी शामिल पाया गया था, इसलिए मामले की जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराने का निर्णय किया गया है।

Protection of the consumers' interest

2252. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the price tag system in the wholesale and retail markets introduced in the country some time back had recently been abolished;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) if answer to the part (a) above be in the negative, what are the reasons that effective steps under the law are not enforced to protect the interest of the consumer in the country in view of the general increase in prices in the market?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

(c) States/Union Territories in exercise of the powers delegated to them under the Essential Act, 1955 have issued Price Display Orders in respect of essential commodities specified in their respective orders. If the commodities are sold in

packages, in terms of the provisions of Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977 it is mandatory for each manufacturers to indicate on such packaged commodities its identity, net contents, date of packing, name of manufacturer/packer and the sale price.

State Governments/UT Administrations have been advised by the Central Government from time to time for the implementation of the Price Display Orders.

Import of edible oils by STC

2253. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the quantity and landed cost of edible oils imported by the State Trading Corporation of India during the last two years;

(b) what is the percentage and month-wise allocation of oils allotted to the vanaspati mills in the country and the prices charged by the State Trading Corporation per tonne from the industry during the last two years;

(c) what are the production charges for manufacturing vanaspati ghee; and

(d) the reasons for the sharp increase in the prices of vanaspati ghee in the wholesale and retail markets since October, 1986?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) The quantity and landed cost of imported edible oils during the last two years is as under:—

	1985-86	1986-87
	(Financial Year)	
Quantity imported	10.80 lakh MT	13.21 lakh MT (provl.)
Weighted average landed cost	Rs. 7,758 per MT	Rs. 6,144 per MT (provl.)